[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं 6/2019-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 2019

सा.का.नि. (अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उत्पाद-शुल्क अधिनियम कहा गया है) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट उत्पादन सहभाजन संविदाओं के अधीन क्षेत्रों में या अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से नई खोज अनुज्ञप्ति नीति (एनइएलपी) के अधीन प्रस्तावित खोज ब्लॉकों में उत्पादित पैट्रोलियम तेल, बिटुमनी खनिज से प्राप्त तेल और कच्चे तेल को उत्पाद-शुल्क अधिनियम की चौथी अनुसूची के अधीन उस पर उदग्रहणीय उत्पाद-शुल्क से पूर्णत: छूट प्रदान करती है ।

सारणी

क्रम सं0	उत्पादन सहभाजन संविदाओं के अधीन क्षेत्रों के नाम
(1)	(2)
1.	पन्ना और मुक्ता क्षेत्र
2.	रव्वा क्षेत्र
3.	खर्सांग क्षेत्र
4.	मध्य और दक्षिणी ताप्ती क्षेत्र
5.	हजीरा क्षेत्र
6.	भांदूत क्षेत्र
7.	मातार क्षेत्र
8	साबरमती क्षेत्र
9.	काम्बे क्षेत्र
10.	इन्द्रोरा क्षेत्र
11.	बकरोल क्षेत्र
12.	लोहार क्षेत्र
13.	ढोलका क्षेत्र
14.	वाविल क्षेत्र
15.	बाओला क्षेत्र
16;	असजोल क्षेत्र
17.	पीवाई-1 क्षेत्र
18.	उत्तरी बालोल क्षेत्र
19.	अलोरा क्षेत्र
20.	उन्वा क्षेत्र
21.	ढोलसन क्षेत्र

22.	कन्वारा क्षेत्र
23.	मोधेरा क्षेत्र
24.	अमगूरी क्षेत्र
25.	उत्तरी कथाना क्षेत्र
26.	सांगनपुर क्षेत्र

[फा. सं. 334/3/2019-टीआरयू]

(गुंजन कुमार वर्मा)
अवर सचिव, भारत सरकार